



2026: AHC-LKO: 21839

उच्च न्यायालय इलाहाबाद
लखनऊ
प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 482 सं0-1356/2018

विद्योतमा एवं अन्यआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्यविरोधी पक्षकार

आवेदकों के अधिवक्ता : मंजूषा कपिल, मनीष वर्मा, रमा शंकर मिश्रा, संदीप

कुमार शुक्ला, सीमा पांडे (मिश्रा), सुनील कुमार

विरोधी पक्षकारों के अधिवक्ता : पांडे

शासकीय अधिवक्ता, सुशीलेन्द्र कुमार साहू

न्यायालय सं0-15

माननीय न्यायामूर्ति श्री बृज राज सिंह

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्रीमती सीमा पांडे के साथ श्री सुनील कुमार पांडे, राज्य के विद्वान अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता और विरोधी पक्षकार सं0 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री सुशीलेन्द्र कुमार साहू को सुना।
2. प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र परिवाद सं0 1842/2016 (लाल बहादुर बनाम सुषमा कुमारी एवं अन्य) अन्तर्गत धारा 120 ख, 417, 418, 406 भा0 दं0 वि0 की संपूर्ण कार्यवाही साथ ही न्यायिक दंडाधिकारी, न्यायालय सं0 19, रायबरेली के न्यायालय में लंबित समन आदेश दिनांकित

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

22.11.2017 और आदेशदिनांकित 17.08.2016, पुलिस थाना-गदागंज, जनपद-रायबरेली को रद्द करने की मांग करते हुए योजित किया गया है।

3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि विरोधी पक्षकार सं0 2 द्वारा पुलिस थाना-गदागंज, जनपद-रायबरेली में मुकदमा अपराध सं0 166/2015 अन्तर्गत धारा 419,420,406,388 भा0दं0वि0 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया जिसमें आवेदकों के पक्ष में अंतिम पत्र योजित किया गया। विरोधी पक्षकार सं0 2 ने विरोध के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र योजित किया जो स्वीकृत हो गया और मामले को आदेश दिनांकित 17.08.2016 के माध्यम से परिवाद के रूप में उपचारित किया गया। धारा 200 एवं 202, सीआर0पी0सी0 के अन्तर्गत कथनों को अभिलिखित करने के बाद, आवेदकों को आदेश दिनांकित 22.11.2017 के माध्यम से समनित किया गया है, जो कि इस प्रार्थना-पत्र में चुनौती के अन्तर्गत है। विरोधी पक्षकार सं0 2 आवेदकों की भूमि की देख-भाल कर रहा था, जो श्रीमती सुषमा कुमारी के पति का नजदीकी रिश्तेदार था। श्रीमती सुषमा कुमारी का कथन धारा 161 सीआर0पी0सी0 के अन्तर्गत अन्वेषणअधिकारी के समक्ष अभिलिखित किया गया और उसने कहा है कि उसके पति की मृत्यु 31.03.2015 को हुई और विरोधी पक्षकार सं0 2 उसके पति का नजदीकी मित्र है और उसके कोई पुत्र नहीं हैं केवल पुत्रियां हैं, इसलिए, विरोधी पक्षकार सं0 2 से उसकी सम्पत्ति और कारोबार की देख-रेख करने को कहा गया।

4. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पुनः प्रस्तुत किया गया है कि विरोधी पक्षकार सं0 2 द्वारा आवेदकों को धन दिया गया है, जो कि फसल से होने वाली आय है (अनुबंध कृषि)। यह प्रस्तुत किया गया है कि विरोधी पक्षकार सं0 2 द्वारा योजित पूरक प्रति-शपथपत्र दिनांकित 09.03.2022 के प्रस्तर5 में, उसके द्वारा यह स्वीकृत है कि संपूर्ण कृषिभूमि का केवल पर्यवेक्षण विरोधी पक्षकार सं0 2 द्वारा किया जा रहा है और एक बार

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उसने यह स्वीकृत किया है कि वह आवेदकों की भूमि का पर्यवेक्षण कर रहा था, जिसका अर्थ है कि वह फसल से होने वाली आय प्राप्त कर रहा था और जो कुछ भी धन उसके द्वारा भुगतान किया गया है, आवेदकों की भूमि की फसल से प्राप्त होने वाली आय से संबंधित धन है। आवेदकों के विद्वान अधिवक्ताने पुनः प्रस्तुत किया है कि अधिक से अधिक, यह वसूली के वाद का मामला हो सकता है, परंतु विरोधी पक्षकार सं0 2 आवेदकों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही दर्ज नहीं कर सकता है। वह यह भी प्रस्तुत करते हैं कि आवेदकों और विरोधी पक्षकार सं0 2 के मध्य कोई विक्रय एवं क्रय समझौता नहीं है।

5. दूसरी तरफ, विरोधी पक्षकार सं0 2 के विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया है कि धारा 200 व 202 सीआर0पी0सी0 के अन्तर्गत कथनों का केवल अवलोकन और परिवाद इंगित करता है कि अपराध आवेदकों के विरुद्ध बनता है। वह पुनः प्रस्तुत करते हैं कि आवेदकों को विरोधी पक्षकार सं0 2 का धन मिल गया है और उन्होंने विरोधी पक्षकार सं0 2 के पक्ष में विक्रय-विलेख निष्पादित नहीं किया, इसलिए, वे अभियोजित किए जाने के योग्य हैं।

6. विद्वान अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता ने भी मामले का विरोध किया है।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, इस न्यायालय की राय यह है कि विरोधी पक्षकार सं0 2 ने पूरक प्रति-शपथपत्र दिनांकित 09.03.2022 के प्रस्तर 5 में स्वयं स्वीकार किया है कि वह आवेदकों की भूमि का पर्यवेक्षण कर रहा था। यह न्यायालय दिए गए तथ्यों पर अपनी आँखें नहीं मूंद सकती है कि आवेदकों की भूमि को विरोधी पक्षकार सं0 2 द्वारा पर्यवेक्षित किया जा रहा था, जिसका अर्थ है, वह प्रश्नगत भूमि से आय प्राप्त कर रहा था। किसी बात के होते हुए भी, तथ्य यह है कि पक्षकारों के मध्य विक्रय एवं क्रय के लिए कोई समझौता नहीं है और यदि विरोधी पक्षकार सं0 2 व्यथित है तो वह वसूली का वाद योजित कर सकता था जिसके लिए साक्ष्य की आवश्यकता है, परंतु प्रथम

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

सूचना रिपोर्ट दर्ज करना/आपराधिक मामला संस्थित करना विधि की दृष्टि में संपोषणीय नहीं है।

8. उच्चतम न्यायालय ने *रिखाब बीरानी एवं एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य, 2025 एस0सी0सी0 ऑनलाइन एस0सी0 823* के मामले में, प्रस्तर 19 व 21 में निम्नवत अवधारित किया है:

“19. आदेशिका जारी करने में अधिक सावधानी बरतना न्यायालय का कर्तव्य एवं दायित्व है, विशेष रूप से जब मामला आवश्यक रूप से सिविल प्रकृति का है। 13 प्रचलित धारणा यह है कि सिविल उपचार, समय-साध्य, पर्याप्त रूप से लेनदारों या ऋण-दाताओं के हितों को सुरक्षित नहीं करता है लेनदारों या ऋणदाताओं को हतोत्साहित और अस्वीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि आपराधिक प्रक्रिया दबाव बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती है। 14, ऐसा करने में विफलता विधि के शासन को ध्वस्त करने का कारण बनती है और यह विधिक प्रक्रिया दुरुपयोग एवं कुप्रयोग की कोटि की है।

.....

21. अंततः, हम शरीफ अहमद बनाम उत्तर प्रदेश 17 में इस न्यायालय के एक अन्य विस्तृत निर्णय को संदर्भित करेंगे, जो निम्नांकित निर्बंधनों में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406, 415, 420, 503 व 506 के अन्तर्गत किसी अपराध को स्थापित करने के लिए आवश्यक सामग्री को आकृष्ट करता है:-

“36. भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अन्तर्गत एक अपराध सुपुर्दगी आवश्यक होती है जिसमें या भाव शामिल है कि किसी सम्पत्ति को सौंपने वाला व्यक्ति या जिसकी ओर से सम्पत्ति सौंपी गई है, उक्त सम्पत्ति का स्वामी बना हुआ है। आगे, सम्पत्ति सौंपने वाले

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

व्यक्ति को सम्पत्ति लेने व्यक्ति में उनके बीच प्रत्ययी संबंध स्थापित करने के लिए अवश्य भरोसा रखना चाहिए। धन/प्रतिफल के विक्रय या विनियम का समान्य अंतरण सुपुर्दगी की कोटि का नहीं होता है। स्पष्ट रूप से, धारा 406 का आरोप/अपराध दूरस्थ रूप से भी नहीं बनता है।.....”

9. उपर्युक्त चर्चा के दृष्टिगत, प्रार्थना-पत्र **स्वीकार** किया जाता है और धारा 120 ख, 417, 418, 406 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत परिवाद सं0 1842/2016 (लाल बहादुर बनाम सुषमा कुमारी एवं अन्य) की संपूर्ण कार्यवाही को साथ ही न्यायिक दंडाधिकारी, न्यायालय सं0 19, रायबरेली के न्यायालय में लंबित समन आदेश दिनांकित 22.11.2017 एवं आदेश दिनांकित 17.08.2016, पुलिस थाना-गदागंज, जनपद रायबरेली को एतद्वारा रद्द किया जाता है।

मार्च 26, 2026

(न्यायमूर्ति बृज राज सिंह)

सचिन

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।